



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 363 राँची, शुक्रवार,

18 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 जुलाई, 2025

विषय : माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा W.P.(S) संख्या-1002/2022 सुमित कुमार सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 0.08.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्व० उमेश कुमार सिंह भूतपूर्व सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय, बरकाकाना, रामगढ़ के आश्रित पुत्र श्री सुमित कुमार सिंह की अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्ग (समूह 'घ') में नियुक्ति के पश्चात् तृतीय वर्ग (समूह 'ग') में पद परिवर्तन हेतु विभागीय परिपत्र संख्या-10167, दिनांक- 01.12.2015 की कंडिका-15(ग) को क्षांत करने के संबंध में ।

संख्या-09/अनु०-01-05/2024 का०-3994--स्व० उमेश कुमार सिंह भूतपूर्व सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय, बरकाकाना, रामगढ़ की सेवाकाल में दिनांक-16.05.2018 को मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित पुत्र श्री सुमित कुमार सिंह के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया था ।

2. दिनांक-30.07.2019 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में श्री सिंह की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट रहने के कारण इन्हें समूह 'ग' अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी थी। साथ ही में जिला स्थापना उपसमाहर्ता, रामगढ़ को निदेश

दिया गया था कि समूह 'ग' अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का टंकण ज्ञान से संबंधित जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही लिपिक पद पर नियुक्ति की जाएगी। अनुत्तीर्ण होने पर अनुशंसा स्वतः चतुर्थ वर्ग के लिए समझी जाएगी।

3. दिनांक-18.02.2020 को सम्पन्न विभागीय टंकण परीक्षा में श्री सुमित कुमार सिंह उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर सके। उक्त के आलोक में दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न जिला स्थापना समिति की बैठक में समिति द्वारा इनकी चतुर्थ वर्ग (समूह 'घ') के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी।

4. चतुर्थ वर्ग (समूह 'घ') के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने के कारण श्री सुमित कुमार सिंह के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) संख्या-1002/2022 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा दिनांक-22.09.2022 को निम्न अंतरिम न्यायादेश पारित किया गया:-

"The petitioner is directed to join his service, subject to final decision of this case. His joining will be without prejudice to his rights in this writ application. The petitioner will file an affidavit intimating his joining.

List this case after three weeks under the heading for Orders."

5. उक्त अंतरिम न्यायादेश के आलोक में श्री सुमित कुमार सिंह के द्वारा चतुर्थ वर्ग (समूह 'घ') के पद पर योगदान समर्पित किया गया।

6. W.P.(S) संख्या-1002/2022 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा दिनांक-10.08.2023 को अंतिम न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operative Part निम्नवत् है:-

"It appears that during the pendency of this writ application an order was passed on 22.09.2022 wherein the petitioner was directed to join his service subject to final decision of the case. The petitioner had thereafter joined in a Class-IV post and working on the same till date.

It appears from the submissions advanced by the learned counsel for the respective sides and the averments made in the writ application that the only grievance of the petitioner is that he has not been appointed in a Class-III post though a recommendation was made by the District Compassionate Committee and instead the petitioner is being forced to work in a Class-IV post. The petitioner appears to have already submitted an application before the concerned respondents

for holding a typing test so as to enable him to make an attempt and if he qualifies it will smoothen the process of his appointment in a Class-III post.

Mr. Sahani in course of his submission has also referred to an instance of one Ujawal Kumar who is working in a Class-III post and whose case is almost similar to that of the petitioner.

Mr. Ashok Kr. Singh, learned A.C. to S.C. (L&C)-III, has in course of dictating this order submitted that the typing tests are regularly held and if a direction be given to the concerned respondent the petitioner can appear in the typing text.

In view of the above, therefore, this writ application stands disposed of with a direction to the respondent no. 3 to consider afresh the application preferred by the petitioner for holding a typing test as it appears that on account of not being successful in the typing test the same has caused an impediment for the petitioner for being appointed in a Class-III post.

It goes without saying that the petitioner has been appointed on compassionate ground and the respondent no. 3 while considering the application submitted by the petitioner for holding of a fresh typing test should also consider it sympathetically. The respondent no. 3 shall conclude the aforesaid exercise within a period of three weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

This writ application stands disposed off.

Pending I.A., if any, also stands disposed off."

7. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में आवेदक हेतु पुनः टंकण दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 14.10.2023 को किया गया, जिसमें श्री सुमित कुमार सिंह उत्तीर्ण हुए।

8. उपायुक्त, रामगढ़ के द्वारा विभागीय परिपत्र संख्या-10167, दिनांक- 01.12.2015 की कंडिका-15(ग) में निरूपित प्रावधान का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा आलोच्यवाद में पारित न्यायादेश में आवेदक का पुनः टंकण परीक्षा लिए जाने का आदेश दिया गया है, परन्तु तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में किसी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, रामगढ़ के द्वारा आवेदक की सेवा चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में संवर्ग / पद परिवर्तन के संबंध में मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया।

9. विभागीय परिपत्र संख्या-10167, दिनांक- 01.12.2015 की कंडिका-15 (ग) में निम्न प्रावधान निरूपित है:-

"नियुक्ति के बाद किसी भी स्थिति में अनुकम्पा समिति पुनर्विचार नहीं करेगी अर्थात् संवर्ग / पद परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जा सकेगी।"

10. तत्पश्चात् विभागीय परिपत्र संख्या-3004, दिनांक- 06.07.2021 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु टंकण की शर्त को भी शिथिल किया गया है।

11. W.P.(S) संख्या-1002/2022 में दिनांक-10.08.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा मार्गदर्शन हेतु प्राप्त पत्र के संदर्भ में पद परिवर्तन बाध्यकारी होने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:

"I am of the opinion, that in view of the aforesaid facts and order of the Hon'ble Court order dated 10.08.2023 as taking into consideration that the Petitioner has already passed in the re-test organized thereupon, the appropriate authorities may take all due measures, including of the relaxation of the Clause 15(c) of the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Letter No. 10167 dated 01.12.2015, in the instant case to ensure the compliance of the Hon'ble Court aforesaid order dated 10.08.2023."

12. अतः सम्यक विचारोपरान्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में स्व० उमेश कुमार सिंह भूतपूर्व सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय, बरकाकाना, रामगढ़ के आश्रित पुत्र श्री सुमित कुमार सिंह की अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्ग (समूह 'घ') में नियुक्ति के पश्चात् तृतीय वर्ग(समूह 'ग') में पद परिवर्तन के मामले में विभागीय परिपत्र संख्या-10167, दिनांक-01.12.2015 की कंडिका-15(ग) को क्षांत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
